

SL No 13 (R)

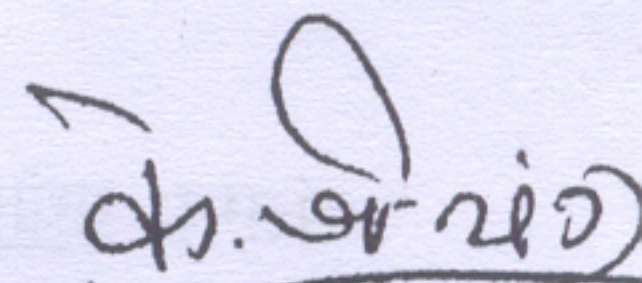
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

कमरा नं० 308, सेवा भवन,
रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली-66

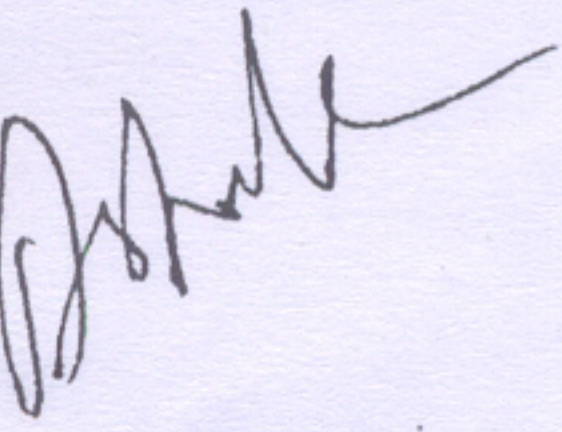
विषय: दिनांक 25.06.2010 मेडिकल क्लेम कमेटी के बैठक का निर्णय के संबंध में।

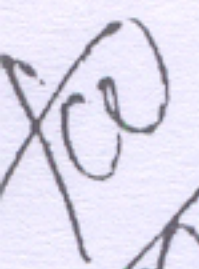
मेडिकल क्लेम कमेटी की दिनांक 25.06.2010 की बैठक के एक मामले में यह पाया गया कि सीजीएचएस लाभार्थी अपने एक आश्रित के उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में गया किन्तु बहिरंग(ओपीडी) रोगी विभाग में भीड़ के कारण चिकित्सक से मिलने के पूर्व मरीज की तबियत ज्यादा खराब होने कि स्थिति में वहां से एक निजी अस्पताल में आपातकालिन चिकित्सा के लिए चला गया। उपरोक्त स्थिति को मेडिकल क्लेम कमेटी ने आपातकालीन चिकित्सा का कारण मानते हुए यह निर्णय लिया कि भविष्य में यदि कोई सीजीएचएस लाभार्थी स्वयं अथवा अपने किसी आश्रित के उपचार के लिए सरकारी अस्पताल के बहिरंग (ओपीडी) विभाग में जाए जहाँ मरीज की तबियत ज्यादा खराब होने लगे तो उस अस्पताल के आपातकालिन विभाग में ही चिकित्सा के लिए जाए।

संगठन एवं पद्धति अनुभाग से अनुरोध है कि उक्त निर्णय को केन्द्रीय जल आयोग में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक परिपत्र के द्वारा परिचालित कर दें।


(के.जी. थंग)
अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी, संगठन एवं पद्धति अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
आई डी नोट संख्या 4/2/2009/4804/EX/IX/CWC दिनांक 27 जुलाई, 2010


Dy No 446/08m
च. 28/7/10


28/7/10

सं. 1/1/2009-सं एवं प./ 382-388

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
संगठन एवं पद्धति अनुभाग

कमरा सं. 326 (द), सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली।

दिनांक: 29/07.2010
30

विषय:- दिनांक 25.06.2010 मेडिकल क्लेम कमेटी के बैठक का निर्णय के संबंध में ।

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है ।

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance.

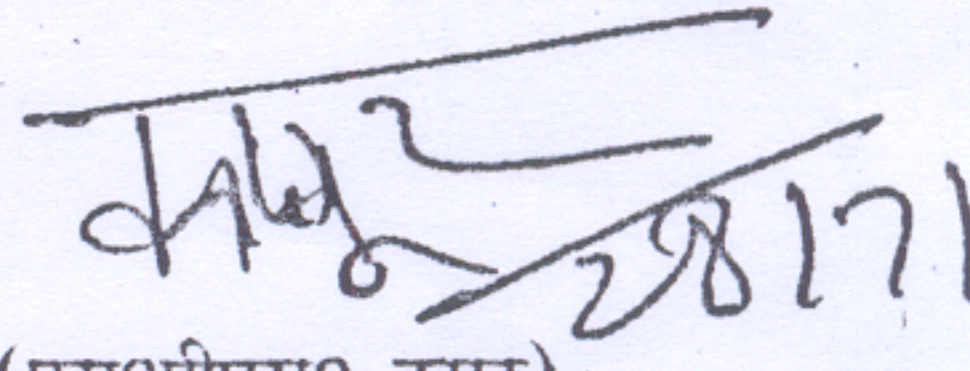
संख्या एवं तारीख
No. & Date

किससे प्राप्त हुई
From whom received

आई डी नोट संख्या 4/2/2009/4204/दिनांक 27 जुलाई 2010

अवर सचिव स्था. नौ. अनुभाग
केन्द्रीय जल आयोग

संलग्न: यथोक्त


(एस0पीएस0 कपूर)

अनुभाग अधिकारी (सं एवं पं)

सेवा में
To

1. PPS to Chairman, CWC, New Delhi.
2. Member (WP&P)/Member (RM)/Member (D&R), CWC.
3. All Chief Engineers at Headquarters & in field.
4. All Superintending Engineers/Directors.
5. All Executive Engineers.
6. All Under Secretaries/AO/
7. All Section Officers.